<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा. संख्या 06/26/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार, वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 30 सितंबर, 2023

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>

(मामला संख्याः ओआई 23/2023)

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "रोलर चेन्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. इंडियन रोलर चेन्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन" (इसके बाद इसे "आईआरसीएमए" कहा जाएगा) से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो "रोलर चेन्स " (इसके बाद "विषय वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में संदर्भित) के लगभग 12 निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ") नामित प्राधिकारी (इसके बाद इसे "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) के समक्ष यह कहते हुए कि डंप किए गए मूल्यों पर चीन जन. गण. (इसके बाद इसे "संबंधित देश" के रूप में संदर्भित किया गया है) से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण भारत में उत्पादन में भारी गिरावट आई है।

2. प्राधिकारी एतदद्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के नियम 5 के उपनियम 4 के अनुसार रोलर चेन्स का विनिर्माण करने वाले भारतीय उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना का संज्ञान लेते हैं।

3. एसोसिएशन (पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध) के पत्रों के माध्यम से प्राधिकरण को अभ्यावेदन दिया गया है। उत्पादकों ने अपने अभ्यावेदन में, विचाराधीन उत्पाद, उत्पादन, क्षमता, पाटन और घरेलू उद्योग को होने वाली भौतिक क्षति और उसके कारण संबंध पर साक्ष्य और/या जानकारी प्रदान करके अपने अनुरोध को प्रमाणित किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "रोलर चेन्स " है, (इसके बाद इसे "विचाराधीन उत्पाद" या "विषय वस्तु" के रूप में भी जाना जाता है)। रोलर चेन एक प्रकार की सकारात्मक ड्राइव चेन है जिसमें रोलर्स द्वारा जुड़े आंतरिक और बाहरी लिंक की एक श्रृंखला होती है। रोलर्स एक स्प्रोकेट के दांतों पर चलते हैं जो बिजली को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक पहुंचाते हैं। रोलर चेन सबसे आम प्रकार की पावर ट्रांसमिशन चेन में से एक है, और इसका उपयोग मशीनरी, कन्वेयर, कृषि उपकरण, निर्माण उपकरण, मोटरसाइकिल, साइकिल और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। रोलर चेन के लिए कच्चे माल आमतौर पर उच्च कार्बन स्टील या मिश्र धातु स्टील होते हैं। उपयोग किए गए स्टील का विशिष्ट ग्रेड श्रृंखला के वांछित गुणों पर निर्भर करेगा, जैसे ताकत, स्थायित्व और संक्षारण प्रतिरोध।

5. जबकि उत्पाद कई अलग-अलग आकार और किस्मों में उत्पादित और बेचा जाता है, अनिवार्य रूप से ये वजन के मामले में तुलनीय होते हैं।

6. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 73 के तहत उपशीर्षक 73151100 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण को कृपया सांकेतिक माना जा सकता है, और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

7. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित सामान भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। माल। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर उपयोग किए जाते हैं।

8. हितबद्ध पक्षकारों को इस आरंभिक अधिसूचना के 15 दिनों के भीतर पीयूसी, पीसीएन, यदि कोई हो, के दायरे पर टिप्पणी करने का निर्देश दिया जाता है।

ख. <u>समान वस्तु</u>

9. पीयूसी के भारतीय उत्पादकों का दावा है कि वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है घरेलू विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित। लेखों भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं।

भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित विषय वस्तुएँ और वस्तुएँ तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। भारतीय उद्योग ने दावा किया है कि विषय वस्तु के उपभोक्ता विषय वस्तु और भारतीय उत्पादकों द्वारा निर्मित वस्तु का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनों के लिए, भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को प्रथम दृष्टया चीन पीआर से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. संबद्ध देश

10. वर्तमान जांच में शामिल संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

घ. जांच की अवधि

11. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (12 माह) की है और क्षति अवधि में 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022 और पीओआई की अवधियां शामिल होंगी।

ड. <u>कथित पाटन का आधार</u>

<u>चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य</u>

12. प्राधिकारी की परिपाटी पर विचार करते हुए और चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) के अनुसार यह माना गया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाना चाहिए कि अनुच्छेद 15(क) (i) के प्रावधानों के अनुसार समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं। चीन की कीमतें और लागत का जांच के अधीन उद्योग के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

13. चूंकि (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत; (ख) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में परिकलित मूल्य; (ग) ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत संबंधी सूचना प्राधिकारी के पास इस समय उपलब्ध नहीं है। इसलिए संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कच्ची सामग्री की कीमत पर विचार करते हुए उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर परिकलित किया गया है। सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर परिवर्तन लागत, एक तर्कसंगत लाभ मार्जिन और एसजीए को शामिल करने के लिए इस कीमत में आवश्यक समायोजन किये गये हैं।

14. निर्यात मूल्य के निर्धारण के लिए, प्राधिकरण ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त लेनदेन-वार डेटा पर विचार किया है और सीआईएफ आयात पर सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर पूर्व-कारखाना निर्यात मूल्य निर्धारित करने के लिए बंदरगाह व्यय, बैंक शुल्क, अंतर्देशीय माल ढुलाई, कमीशन आदि के लिए समायोजन किया कीमत है।

क. पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक है । इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है ।

च. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

16. एसोसिएशन ने प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन दिया है कि डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं। संबद्ध देश से संबद्ध आयात की मात्रा में पूर्ण और सापेक्ष दृष्टि से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। समग्र रूप से संबद्ध देश से कीमत में कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। भारतीय उत्पादकों को कम क्षमता के उपयोग, बिक्री की मात्रा में गिरावट, घाटे, बाजार शेयरों में गिरावट आदि के कारण भी क्षति हुई है।

छ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

17. प्राधिकारी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के नियम 5(4) के अनुसार आईआरसीएमए द्वारा प्रदत्त सूचना और डीजीसीआई एंड एस के आयात आंकड़ों का संज्ञान लेते हैं। नियम 5(4) में निम्नानुसार बताया गया है:

"उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वयं यह जांच शुरू कर सकते हैं यदि वे सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत नियुक्त (सीमा शुल्क आयुक्त) से प्राप्त सूचना या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना से इस बात से संतुष्ट हैं कि उपनियम (3) के खंड (ख) में संदर्भित परिस्थितियों की मौजूदगी के रूप में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं"।

18. एडी नियमावली के नियम 5(4) को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से "रोलर चेन्स" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच स्वप्रेरणा से शुरू करते हैं।

ज. प्रक्रिया

19. वर्तमान जांच के लिए नियामावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का पालन किया जाएगा ।

झ. सूचना प्रस्तुत करना

20. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले समस्त पत्र ई-मेल पतों jd16-dgtr@gov.in, dd15-dgtr@gov.in., adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in. को ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

21. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी उपरोक्त पैरा 20 में उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डीजीटीआर की अधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in/को नियमित रूप से देखते रहें ।

ञ. समय सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों

adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in., jd16-dgtr@gov.in तथा dd15-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाली या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें ।

ट. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

28. प्रश्नावली के उत्तर सहित-प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए- गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

29. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

30. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभावित रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणें से गोपनीय होने का दावा किया गया है के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का

एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

31. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है।

32. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना के स्वरूप के जांच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य अथवा सारांश रूप से उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अनेदेखी कर सकते हैं।

33. सार्थक गोपनीय अंश के बिना या गोपनीयता के सही कारण के विवरण के बिना किये गये किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

34. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ठ. हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तर/अनुरोध शेयर करना

35. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश भेज दें क्योंकि सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी ।

ड. असहयोग

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

31/12

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी